(स्पीड पोस्ट/SPEED POST)

सं: आईएफसीआई/आरटीआई/1462/2026-　　　　　　　　　　　　दिनांक: 22 जनवरी 2026

To,

महोदय,

विषय: आरटीआई आवेदन संख्या डीओएफएसआर/आर/टी/26/00048 दिनांक 07/01/2026- पत्र संख्या एफ. संख्या 20/1/2026 आईएफ-आई दिनांक 21/01/2026 डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार से प्राप्त-आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आरटीआई आवेदन का स्थानांतरण- आईएफसीआई लिमिटेड की ओर से उत्तर। RTI Application no.DOFSR/R/T/26/00048 dated 07/01/2026- Letter no.F.No.20/1/2026 IF-I dated 21/01/2026 received from DFS, MOF, GOI- Transfer of RTI Application u/s 6(3) of the RTI Act, 2005- Reply on behalf of IFCI Limited.

कृपया अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना मांगने वाले आपके उपरोक्त आरटीआई आवेदन का संदर्भ लें, जो वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से 21/01/2026 को आईएफसीआई लिमिटेड को हस्तांतरण के तहत प्राप्त हुआ था। Please refer to your above RTI Application seeking information under the provisions of the act which is received by IFCI Limited under transfer from Dept. of Financial Services, MOF GOI on 21/01/2026.

2. इस संदर्भ में, कृपया ध्यान दें कि आईएफसीआई अनुसूचित जाति उद्यमियों को सीधे ऋण प्रदान करने वाली किसी भी योजना का संचालन या प्रबंधन नहीं करता है। हालांकि, आईएफसीआई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा शुरू की गई योजना, अनुसूचित जाति के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना (सीईजीएसएससी) के लिए नोडल एजेंसी है, जो अनुसूचित जाति द्वारा संचालित उद्यमों को दिए गए ऋणों के लिए बैंकों/एमएलआई को ऋण संवर्धन गारंटी प्रदान करती है। यह योजना केवल गारंटी कवर प्रदान करती है, प्रत्यक्ष ऋण नहीं देती है। वर्तमान में, सीईजीएसएससी की एमओएसजेई द्वारा समीक्षा की जा रही है, और कोई नई गारंटी स्वीकृत नहीं की जा रही है। योजना का संपूर्ण विवरण आईएफसीआई लिमिटेड की वेबसाइट (www.ifciltd.com) पर उपलब्ध है।In this regard, please note that IFCI does not provide or manage any scheme which directly provides loans to SC entrepreneurs. However, IFCI is the nodal agency for scheme started by Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE) i.e Credit Enhancement Guarantee Scheme for the Scheduled Castes (CEGSSC) which provides credit enhancement guarantees to Banks/MLIs for loans extended to SC-run enterprises. The scheme offers only guarantee cover, not direct lending. Currently, CEGSSC is under review by MoSJE, and no new guarantee sanctions are being issued. The complete details of the scheme is available on the website of IFCI Ltd. (www.ifciltd.com).

3. यदि आप प्रदान की गई जानकारी के संबंध में अपील करना चाहते हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर नीचे दिए गए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं।

श्री विजय कुमार गोयल,एफएए एवं निदेशक – विधि, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली.

(वरिंदर मलिक)
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, आईएफसीआई.लि.